भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2970

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

असंगठित कामगारों का कल्याण

2970 श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं का आकलन किया है;

(ख) देश में असंगठित क्षेत्र में नियोजित कामगारों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार एवं क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कामगारों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यापक सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, पेंशन एवं बीमा लाभों का विस्तार असंगठित क्षेत्र में नियोजित सभी कामगारों तक करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित कामगारों की सामाजिक-आर्थिक विवरणिका (प्रोफाइल) का आकलन किया है। ई-श्रम डेटाबेस, पंजीकृत असंगठित कामगारों के प्रासंगिक सामाजिक-आर्थिक एवं व्यावसायिक ब्यौरों का रख-रखाव करता है तथा इसके माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित करने और उनकी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच में सुविधा होती है।

बजट घोषणा 2024-25 के विजन को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/ कल्याणकारी योजनाओं का एकल पोर्टल पर एकीकरण किया गया है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार ई-श्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों का ब्यौरा भी देख सकते हैं।

देशभर में ई-श्रम पोर्टल पर 31.86 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया जा चुका है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I एवं संलग्नक-II में दिया गया है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, असंगठित कामगारों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया जा सके,

जारी/2---

जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, जो ई-श्रम कार्डधारकों को अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में समर्थ बना रहा है।

**

संलग्नक-I

"असंगठित कामगारों का कल्याण" के संबंध में श्री रायगा कृष्णैया द्वारा दिनांक 13.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल पंजीकरण
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	36,163
2	आंध्र प्रदेश	88,90,175
3	अरुणाचल प्रदेश	2,21,393
4	असम	78,96,358
5	बिहार	3,25,12,484
6	चंडीगढ़	1,92,651
7	छत्तीसगढ	86,73,969
8	दिल्ली	36,83,627
9	गोवा	91,181
10	गुजरात	1,26,85,798
11	हरियाणा	54,48,401
12	हिमाचल प्रदेश	20,34,766
13	जम्मू और कश्मीर	36,69,030
14	झारखंड	98,77,851
15	कर्नाटक	1,11,48,624
16	केरल	61,56,225
17	लद्दाख	36,517
18	लक्षद्वीप	2,881
19	मध्य प्रदेश	1,95,90,664
20	महाराष्ट्र	1,87,34,411
21	मणिपुर	4,77,584
22	मेघालय	3,77,718
23	मिजोरम	73,912
24	नागालैंड	2,49,243
25	ओडिशा	1,37,77,993
26	पुदुचेरी	2,00,590
27	पंजाब	61,81,428
28	राजस्थान	1,55,68,749
29	सिक्किम	51,595
30	तमिलनाडु	98,71,192
31	तेलंगाना	47,19,857
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	76,579
33	त्रिपुरा	9,08,534
34	उत्तर प्रदेश	8,46,99,328
35	उत्तराखंड	31,28,560
36	पश्चिम बंगाल	2,67,30,901
	कुल	**31,86,76,932**

डेटा स्रोत: ई-श्रम पोर्टल

संलग्नक-II

"असंगठित कामगारों का कल्याण" के संबंध में श्री रायगा कृष्णैया द्वारा दिनांक 13.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2970 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र. सं.	काम का क्षेत्र	पंजीकरण की संख्या
1	कृषि	16,41,39,381
2	घरेलू कामगार	2,95,63,027
3	निर्माण कार्य	2,91,61,477
4	परिधान	2,10,64,513
5	विविध	1,53,56,600
6	ऑटोमोबाइल और परिवहन	86,39,609
7	पूंजीगत वस्तुएं और विनिर्माण	65,46,857
8	चमड़ा उद्योग कार्य	62,32,508
9	शिक्षा	53,90,251
10	इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	51,17,548
11	पर्यटन और आतिथ्य	44,59,397
12	स्वास्थ्य सेवा	36,45,419
13	कार्यालय प्रशासन और सुविधा प्रबंधन	31,66,172
14	तंबाकू उद्योग	27,54,985
15	खुदरा	24,06,671
16	हस्तशिल्प और कालीन	23,87,864
17	ब्यूटी और वेलनेस	22,00,056
18	खाद्य उद्योग	18,37,565
19	रत्न और आभूषण	10,37,765
20	पेशेवर	8,45,166
21	मुद्रण	5,13,011
22	निजी सुरक्षा	4,69,783
23	खनन	4,61,345
24	सेवा	3,08,694
25	कांच और चीनी मिट्टी	2,94,938
26	लकड़ी का काम और बढ़ईगीरी	2,10,318
27	वस्त्र और हथकरघा	2,09,489
28	वाद्य यंत्र	1,20,130
29	संगठित खुदरा	89,829
30	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा	46,564
	कुल	**31,86,76,932**

डेटा स्रोत: ई-श्रम पोर्टल
